UPME010084422026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी एक्ट मेरठ।

उपस्थितः अमित वीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे0ओ0कोड यू0पी06240

नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं0–2861/2026

अंकित पुत्र डालचंद, निवासी–ग्राम सरायघासी, थाना सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी/अभियोजन

मु0अ0सं0–200 सन् 2026
वाद संख्या–906/2026
धारा–123, 69, 352, 351(3) बी0एन0एस0
व धारा 3(2) 5 एस.सी./एस.टी. एक्ट
थाना–टी0 पी0 नगर, जिला– मेरठ।

उपस्थितः प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता–चौधरी रणवीर सिंह एडवोकेट

राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक–श्री मोहित गुप्ता

दिनांकः 18.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त अंकित पुत्र डालचंद की ओर से यह नियमित जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0–200 सन् 2026, वाद संख्या–906/2026, धारा–123, 69, 352, 351(3) बी0एन0एस0 तथा धारा 3(2) 5 एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना टी0 पी0 नगर, जिला मेरठ के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी अंजली द्वारा थाना टी0पी0नगर, मेरठ पर 01.04.2026 को समय 11:40 बजे इस आश्य की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि प्रार्थिनी अनुसूचित जाति की लड़की है। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व जब वह नोएडा कासना के एच0 वाटक मोबाईल कम्पनी में नौकरी करती थी तभी उक्त कम्पनी में काम करने वाले अंकित पुत्र डालचन्द ने उससे प्रेम सम्बन्ध स्थापित कर लिये और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर

उसके अश्लील फोटो व वीडियो बना लिये। प्रार्थिनी के नाराजगी व्यक्त करने पर शादी का आश्वासन दिया और कहा कि वह अपने मा बाप को राजी करले क्योंकि वह राजपूत जाति का है इसलिये वह अभी तैयार नहीं होंगे।बाद में प्रार्थिनी के साथ केव इन में किराये के कमरे पर रहने लगा और जबरदस्ती सम्बन्ध बनाता रहा। प्रार्थिनी गर्भवती हो गयी तो उसे गर्भनिरोधक गोलियॉ देकर गर्भ गिरा दिसा। अभियुक्त ने शादी का झांसा देकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। शादी के लिये दबाव डालने पर गंदी गंदी गालियॉ देते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी और कहा कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शादी के लिये कहा तो वह उसे व उसके परिवार को जान से मारकर लाश गायब करा देगा। अंकित के साथ उसके पिता डालचन्द, जीजा व अंकित का भाई कपिल व मॉ शारदा देवी प्रार्थिनी को फोन पर धमकी दे रहे हैं जिसकी फोन रिकार्डिंग प्रार्थिनी के पास है। प्रार्थिनी को अपनी जान माल का नुकसान होने का भय है। अतः रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्यतः आधार यह लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। वादिनी अनुसूचित जाति की बालिग लड़की है जिसने लालचवश अभियुक्त को बिना किसी कारण दोषी ठहराया हैं। अभियुक्त ने प्राथमिकी के अनुसार कोई अपराध कारित नहीं किया है और न ही गर्भपात कराने के लिये कोई दवा दी है और न ही अस्पताल लेकर गया। समस्त घटना पूर्णतया संदिग्ध है। प्रार्थिनी ने घटना की कोई तिथि व समय अंकित नहीं किया है। वादिनी स्वच्छंद विचारों की लड़की है और अभियुक्त के साथ के0एच0 वाटक मोबाईल कम्पनी में नौकरी करती थी। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त सम्मानित परिवार का सदस्य है तथा न्यायालय की सन्तुष्टि में उचित जमानत देने को तैयार है। जमानत पर रिहा होने के बाद अभियुक्त के फरार होने अथवा गवाहान को प्रभावित करने की कोई सम्भावना नहीं है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि अभियुक्त ने वादिनी/पीड़िता को नशीला पदार्थ कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिलाया और उसकी फोटो व वीडियो बनाली तथा शादी का झांसा देकर उसके साथ सम्बन्ध बनाये और वादिनी व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया।

5. मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. विवेचक द्वारा मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा डेढ़ वर्ष पूर्व मुलजिम द्वारा कथित रूप से बनायी गयी अश्लील फोटो व वीडियो एकत्रित नहीं किया गया। पीड़िता 23 वर्षीय पढ़ी लिखी महिला है जो ग्रेटर नोएडा में मोबाईल कम्पनी में नौकरी करती थी और मुलजिम भी उसके साथ काम करता था। दोनों लम्बे समय तक रिलेशनशिप में एक ही कमरे में रहे हैं। पीड़िता वयस्क है और अपना भला बुरा समझती है।

7. उपरोक्त परिस्थितिया में मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अंकित पुत्र डालचंद की ओर से यह नियमित जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0–200 सन् 2026, वाद संख्या–906/2026, धारा–123, 69, 352, 351(3) बी0एन0एस0 तथा धारा 3(2) 5 एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना टी0 पी0 नगर, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं0–2861/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा रूपया 50000/– का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जावे।

1. जमानत पर छूटने के पश्चात् अभियुक्त निष्पादित बन्ध पत्रों की शर्तों के अनुसार न्यायालय में हाजिर होगा।

2. जो अभियोग प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाया गया है ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

3. प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और न ही साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा।

4. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

दिनाकः 18.06.2026

(अमित वीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० एक्ट
मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी०6240

This is uncertified copy for information/reference-
For authentic copy Please refer to certified copy only.

Digitally signed by AMIT VEER SINGH
Date: 2026.06.18 17:19:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court